न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-O- 02/2016 श्री थानु बनाम श्री मानहींग

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13—04—2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वाद संख्या 64/2009 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा पेश शुदा वाद में अपीलान्ट संख्या–1 व 2 के विरूद्ध दिनांक 26–4–2010 को एक–तरफा कार्यवाही करते हुए प्रकरण में दिनांक 21–6–2010 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी का वाद डिक्री कर दिया था। उक्त एक–तरफा डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 23–8–2011 को आदेश–9, नियम–13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का आवेदन पेश कर उक्त एक–तरफा डिक्री दिनांक 21–6–2010 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन पर रेस्पोन्डेन्ट वादी द्वारा खण्डन का जवाब भी दिनांक 21–5–2013 को पेश किया गया। उक्त जवाब प्रस्तुत होने के बाद प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा दिनांक 22–12–2014 को लिखित बहस भी पेश कर दी गई तथा उभयपक्ष को रूलिंग पेश किये जाने के लिए अवसर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लापरवाही पूर्ण उदारता रखते हुए दिनांक 22–12–2014 से 4–4–2016 तक नजीरें पेश किये जाने के लिए कूल–11 अवसर दिये तथा अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में R R T 2012 (1) पेज 575, R R T 2008 (2) पेज 787 व अन्य न्यायिक नजीरें पत्रावली में पेश शुदा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 4–4–2016 को दिनांक 7–6–2016 की पेशी दी गई। दिनांक 7–6–2016 की पेशी के बाद बिना दिनांक अंकित किये न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प झिंकली में प्रकरण को अपीलान्ट की गैर–मोजूदगी में खारिज कर दिया गया। पत्रावली के मुख पृष्ठ पर फैसले की दिनांक 5–7–2016 अंकित है। प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादी के दि. 5–7–2016 के लिए सूचित किये बिना व सुने बिना, प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस व नजीरे भी प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित किये जाने के स्थान पर अपीलान्ट/प्रतिवादी का आवेदन खारिज किये जाने में तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि की है।	

	अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–07–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 18–6–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-O- 02/2016 श्री थानु बनाम श्री मानहींग

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27.............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........08............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील					
6. स्टाम्प वकालत नामा.......					
7. इजराय हुक्मनामा					
8. वकील फीस बाबत					
मीजान					
.					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।